संख्या: 11 /2019/627 /तीस-1-2019-5(32)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 19 अगस्त, 2019

विषय: बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला गाजीपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-380बी/डीए/पूर्व/19-08/जेईटी/वि0/15-16, दिनांक 12.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-37/2015/1409/तीस-1-2015-5(32)/2015, दिनांक 30.11.2015 के द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला गाजीपुर के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0 483.88 लाख (रू0 चार करोड़ तिरासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-26/2017/307/तीस-1-2017-5(32)/2015, दिनांक 11.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 में पूर्व शर्तों के अधीन ही द्वितीय किश्त के रूप में रू0 222.15 लाख (रू0 दो करोड़ बाइस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.04.2019 द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला गाजीपुर के निर्माण हेतु तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 61.73 लाख (रू0 इकसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला गाजीपुर के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 483.88 लाख (रू0 चार करोड़ तिरासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 61.73 लाख (रू0 इकसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि योजना की अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

4- भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुये समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण कराया जाय। इसका दायित्व कार्यदायी संस्था एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था होगा, कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरादायित्व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

7- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

8- उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

9- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-37/2015/1409/तीस-1-2015-5(32)/2015, दिनांक 30.11.2015 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

10- प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा ।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

12- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा0संख्या-973/ई-9-दस/2019 दिनांक 24.06.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0

अनिल कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या: 11 /2019/627(1)/तीस-1-2019-5(32)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।